बिन्दु सं0—3 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 में विभिन्न मामलों में निर्णय लेने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है । निदेशक मण्डल द्वारा निगम के प्रबन्ध निदेशक को वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैं तथा आवश्यकतानुसार प्रबन्ध निदेशक से नीचे के स्तर पर विभिन्न अधिकारियों को अधिकारों का उप प्रतिनिधायन किया गया है।

निगम में कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु विभिन्न स्तर निर्धारित किये गये हैं । निर्माण कार्यों के सम्पादन के दौरान सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता इकाईयों द्वारा किये गये कार्यों का स्वंय सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है । इसके अतिरिक्त मण्डल स्तर पर नियुक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/अधीक्षण अभियंता द्वारा अपने मण्डल के अधीन कार्यों का पर्यवेक्षण किया जाता है । निगम मुख्यालय पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गयी है जिसमें अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी तैनात हैं । उक्त प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा भी समय—समय पर निर्माण इकाईयों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने की प्रक्रिया विद्यमान है । निर्माण इकाईयों के कार्यों में पायी गयी कमियों हेतु उत्तरदायित्व के निर्धारण की प्रक्रिया भी विद्यमान है । निर्माण इकाईयों के अतिरिक्त निगम के सामान्य कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु प्रक्रिया विद्यमान है जिसका विवरण निगम के संगठनात्मक दायरे के अन्तर्गत दिया गया है । कार्यों के निष्पादन में उत्तरदायित्व के निर्धारण की प्रक्रिया भी स्थापित की गयी है ।